ए.

मुनिकृष्ण @कृष्ण ई. टी. सी. बनाम.

उल्सोर पी. एस. द्वारा कथन

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1597-1600) सितंबर 30,2022

बी.

[उदय उमेश ललित**,** मुख्य न्यायाधीश **,** एस**.** रवींद्र भाट और सुधांशु धूलिया**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302, 34 – भारत का संविधान-अनुच्छेद 20 (3)-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.161-साक्ष्य अधिनियम-एसएस।25, 27 – वृद्ध व्यक्ति की हत्या-परिवेशी साक्ष्य-अपीलार्थियों को यू/एस द्वारा दोषी ठहराया गया था।302 आर/डब्ल्यू एस।34 और आजीवन कारावास की सजा-दोषसिद्धि का आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार सजा-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, साक्ष्य की पूरी श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला की जांच करने के बाद आए निष्कर्षों को अभियुक्त की दोषीता की ओर इशारा करना चाहिए और कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए-हालांकि, वर्तमान मामले में यह स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के मामले से गायब है-अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पुलिस के सामने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए इकबालिया/स्वैच्छिक बयानों और अभियुक्त की ओर इशारा करते हुए हत्या के कथित हथियार की बरामदगी और गहने की दुकान से कथित रूप से चोरी की गई सोने की सामग्री की बरामदगी पर आधारित है, फिर से अभियुक्त की ओर इशारा करते हुए-संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत, एक अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा, यू/एस।25, साक्ष्य अधिनियम, एक पुलिस अधिकारी के समक्ष एक आरोपी द्वारा दिया गया एक इकबालिया बयान सबूत के रूप में अस्वीकार्य है- विचारण न्यायालय और अपीलीय अदालत दोनों ने आरोपी के स्वैच्छिक बयानों और उनके वीडियोग्राफी बयानों पर गलत तरीके से भरोसा किया- विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करना दिया-अपीलार्थियोंओं को जेल से रिहा किया जाए, जब तक कि किसी अन्य अपराध में वांछित न हो।आपराधिक कानून-साक्ष्य-परिवेशी साक्ष्य-न्यायालय का कर्तव्य-आयोजित:परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, न्यायालय को प्रत्येक परिस्थितिजन्य संभावना की जांच करनी होती है, जिसे साक्ष्य के रूप में उसके सामने रखा जाता है और साक्ष्य को केवल एक निष्कर्ष की ओर इशारा करना चाहिए, जो कि अभियुक्त का अपराध है-अभियोजन पक्ष पर अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का बहुत भारी कर्तव्य डाला जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

415 ए.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** मामले में कोई सीधा सबूत नहीं है।ऐसा कोई फोरेंसिक या वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है जो किसी भी वर्तमान अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ता हो।अपराध के हथियार की तथाकथित खोज और चोरी की गई सोने की सामग्री की खोज भी गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है।इस प्रकार यह कुल मिलाकर और सार रूप में पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, साक्ष्य की पूरी श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला की जांच करने के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं, वे अभियुक्त की दोषीता की ओर इशारा करते हैं और कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकालते हैं।अभियोजन पक्ष के मामले में यह स्पष्ट रूप से गायब है।अभियोजन पक्ष का पूरा मामला अभियुक्त संख्या **1** से **5 (**सभी वर्तमान अपीलार्थी**)** द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों या स्वैच्छिक बयानों पर आधारित है, जब वे पुलिस हिरासत में थे।सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **161** के तहत एक आरोपी द्वारा पुलिस को दिया गया बयान सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम**, 1872** की धारा **27** के तहत खोजे गए साक्ष्य**,** यानी चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी और हथियार की बरामदगी भी बहुत संदिग्ध है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, न्यायालय को प्रत्येक परिस्थितिजन्य संभावना की जांच करनी होती है, जिसे साक्ष्य के रूप में उसके सामने रखा जाता है और साक्ष्य को केवल एक निष्कर्ष की ओर इशारा करना चाहिए, जो कि अभियुक्त का अपराध है।दूसरे शब्दों में, उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर बहुत भारी कर्तव्य डाला जाता है।**[**पारस **10-12] [425-B-G]**

बी.

सी.

डी.

ई.

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्न बनामकी स्थिति

एफ.

मध्य प्रदेश आकाशवाणी 1952 एस. सी. 343:[1952] एससीआर 1091;

मुशीर खान @बादशाह खान और अन्न. वी.की स्थिति

मध्य प्रदेश (2010) 2 एससीसी 748:[2010] 2 एस. सी. आर. 119-पर निर्भर।

जी.

तुफैल **(**उपनाम**)** सिम्मी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1969) 3** एस**.** सी**.** सी**. 198;** राम गोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1972) 4** एस**.** सी**.** सी**. 625;** शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1969)**

महाराष्ट्र (1984) 4 एससीसी 116:[1985] 1 एस. सी. आर. 88-संदर्भित।

एच.

417

मुनिकृष्ण @कृष्ण ई. टी. सी. बनाम.उल्सोर पीएस ए द्वारा कथन

ए.

1.2 वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पुलिस के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए इकबालिया/स्वैच्छिक बयानों और अभियुक्त की ओर इशारा करते हुए बरामद किए गए हत्या के कथित हथियार की बरामदगी और फिर से अभियुक्त की ओर इशारा करते हुए एक आभूषण की दुकान से कथित रूप से चोरी की गई सोने की सामग्री की बरामदगी पर आधारित है।पुलिस के अनुसार**,** सभी अभियुक्तों को **31.01.2001** पर एक स्कूल की इमारत से गिरफ्तार किया गया था और औपचारिक रूप से **01.02.2001** पर गिरफ्तार किया गया था।उन्होंने अपने द्वारा किए गए **24** अपराधों को स्वीकार किया।हत्याओं की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के उनके इकबालिया बयानों को एक वीडियो में कैद किया गया है**,** जिसे न्यायालय के समक्ष भी प्रदर्शित किया गया था।न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयानों का यह सबूत लिया है और इसलिए इसे सबूत के रूप में स्वीकार किया है।यह सत्र न्यायालय के साथ**-**साथ उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया गया था।उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के निष्कर्ष और अभियुक्त के स्वैच्छिक बयान की स्वीकार्यता और न्यायालय के समक्ष रखी गई वीडियोग्राफी की पुष्टि की। विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों ने अभियुक्तों के स्वैच्छिक बयानों और उनके वीडियोग्राफी बयानों पर भरोसा करने में पूरी तरह से गलती की।भारत के संविधान के अनुच्छेद **20 (3)** के तहत**,** एक आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।पुनः**,** भारतीय साक्ष्य अधिनियम**, 1872** की धारा **25** के तहत**;** एक पुलिस अधिकारी के समक्ष एक अभियुक्त द्वारा दिया गया

इकबालिया बयान सबूत के रूप में अस्वीकार्य है।जहां तक सोने की सिल्लियों की बरामदगी का संबंध है, पीडब्लू-1, यानी दामाद और शिकायतकर्ता ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा है कि वह सिल्लियों को नहीं पहचानता है और यह उसके ससुर का नहीं है।इसलिए, जो सोना बरामद किया गया है, उसकी पहचान मृतक के घर से चोरी हुए सोने के रूप में नहीं हुई है।चाकू की बरामदगी भी संदिग्ध है।सबसे पहले, वेंकटेश, जिन्होंने खोज का नेतृत्व किया था, ने चाकू और उसके निपटान के बारे में **01.02.2001** पर उल्लेख किया था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था।हालाँकि, वसूली **15.05.2001** यानी साढ़े चार महीने बाद की गई थी।इस तरह की देरी से वसूली क्यों की गई, इसकी व्याख्या नहीं की गई है।दूसरा, इस बरामदगी का स्वतंत्र गवाह पीडब्लू-**10** मुरुगन भी जिरह के दौरान मुकर गया था क्योंकि उसने कहा था कि वह वेंकटेश **(**आरोपी**)** को नहीं पहचानता है जिसके द्वारा कथित बरामदगी की ओर इशारा किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

बनाया गया था।हत्या के हथियार की बरामदगी के लिए इतना।**[**पैरा **13] [428-**जी**-**एच**; 429-**ए**-**बी**; 430-**डी**; 431-**सी**; 432-**ए**-**डी**]**

श्री एन**.** श्री रामा रेड्डी**,** आदि।श्री वी**.** वी**.** गिरि आकाशवाणी **1971**

एससी **1162:[1971] 1** एस**.** सी**.** आर**. 399-**लागू नहीं होता है।

1.3 कुछ अभियुक्त जो इस न्यायालय के समक्ष थे**,** वे भी इसी तरह के एक और मुकदमे का सामना कर रहे थे जिसमें उन्हें **17.09.2010** पर दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई।इसके बाद अपील में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया**,** लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।आखिरकार वे अपील में इस न्यायालय के सामने आए। विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा जाँच की प्रक्रिया और साक्ष्य की सराहना ने वर्तमान मामले की तरह ही एक समान मार्ग अपनाया था।उनकी आपराधिक अपील **(2018** का सं**. 1476-1477)** की सुनवाई करते हुए इस न्यायालय ने कुछ

टिप्पणियां कीं, जो वर्तमान मामले के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक हैं।इस न्यायालय ने अपने दिनांक **1** के आदेश में उपरोक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश अपास्त करना कर दिया है, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **161** के तहत पुलिस के समक्ष आरोपी द्वारा दिए गए बयान पर लगभग पूरी तरह से अपनी निर्भरता रखी थी। वर्तमान मामले में भी ठीक यही किया गया है और परिणामस्वरूप इसका भी वही परिणाम होना चाहिए।वास्तव में, अभियोजन पक्ष का यह भी मामला था कि अपीलार्थियों एक ऐसे गिरोह से संबंधित हैं जो इस प्रकार का अपराध करता है और सभी मामलों में कार्यप्रणाली मोटे तौर पर समान है।यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थियों ऐसे कई **20-25** मामलों में शामिल हैं।लेकिन न्यायालय के समक्ष जो दिया गया था वह एक चार्ट था जिसमें उन अपराधों, संख्याओं और धाराओं का विवरण दिया गया था जिनके तहत ऐसे अपराध कथित रूप से किए गए थे।आरोप पत्र या कोई अन्य सबूत के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।इसलिए इस कारक को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।आम तौर पर, यह न्यायालय तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है जैसा कि वे वर्तमान मामले में हैं।लेकिन, फिर वर्तमान मामले में इन कारणों से निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ सत्र न्यायालय दोनों ने आपराधिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है और उन तथ्यों और साक्ष्यों पर भरोसा किया है जो स्पष्ट रूप से न्यायालय में अस्वीकार्य हैं।अपराध वास्तव में भयावह था, कम से कम कहने के लिए।फिर भी, ए

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

419

मुनिकृष्ण @कृष्ण ई. टी. सी. बनाम.उल्सोर पीएस ए द्वारा कथन

अपराध को वर्तमान अपीलार्थियों से जोड़ना एक ऐसी कवायद है जिसे कानून के स्थापित सिद्धांतों के तहत न्यायालय में किया जाना था।अपीलों की अनुमति दी जाती है, सत्र न्यायाधीश दिनांक **1** और उच्च न्यायालय दिनांक **2** के आदेश को इसके द्वारा अपास्त करना

दिया जाता है, अपीलार्थियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि वे किसी अन्य अपराध में वांछित न हों।**[**पैरा **14-17] [432-**डी-एफ**; 435-**ए-ई**; 436-**ए**]**

बी.

वेंकटेश **@**चंद्र बनाम कर्नाटक राज्य **2022**

एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 765-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

सी.

[1952] एससीआर **1091**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **12**

[1985] 1 एससीआर **88**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[2010] 2 एससीआर **119**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **12**

1971] 1 एससीआर **399**

लागू नहीं होने वाला पैरा **13**

डी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1597-1600।

बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के 31.08.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से Crl.A.Nos। 2003 का 1048,1049,1068 और 1069।

ई.

लक्ष्मीश एस. कामत, कौस्तुभ शुक्ला, सुश्री सम्रिती आहूजा, सुश्री नैन्सी शमीम, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

निखिल गोयल, ए. ए. जी., वी. एन. रघुपति, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

सुधांशु धूलिया, जे।

हमारे समक्ष अपीलार्थियों ने आपराधिक अपील में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक आई. डी. 1 के फैसले और आदेश को चुनौती दी है, जिसने अपीलार्थियों के खिलाफ विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा है, जिसने अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 34 के सहपठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मीश एस. कामत और राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री निखिल गोयल को 24.08.2022 पर विस्तार से सुना था और मामले में अनुमति दी थी, जिसे तब निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया था।

जी.

एच.

420

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 13 एस सी आर।

2. 1 पर 12.10.2000 पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी:15 प्रधानमंत्री की आधी रात, जो मृतक के दामाद एस. रामकृष्णन द्वारा 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर, 2000 के बीच की दरम्यानी रात थी।एफ. आई. आर. के अनुसार, उसके ससुर, जो 72 वर्ष के थे, और हाउदीन रोड, उलसूर में अकेले रह रहे थे, की कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी।मृतक ने आखिरी बार अपनी बेटी (मुखबिर की पत्नी) से लगभग 6 बजे बात की:30 उस शाम पीएम। मुखबिर तब कहता है कि उसकी पत्नी और वह उस दिन शाम को (11.10.2000) रात्रिभोज की सगाई में भाग लेने के लिए अपने घर से निकले थे।वे लगभग 11 बजे घर लौटे:15 पीएम। लौटने पर उन्हें भारतीय विज्ञान संस्थान के चचेरे भाई डॉ. बी. अनंत नारायण का फोन आया। डॉ. नारायण ने उन्हें बताया कि उन्हें लगभग 1 बजे एक सुंदर का टेलीफोन आया था, जो उनके ससुर का पड़ोसी है।सुंदर ने बताया था कि उनके ससुर के घर के दरवाजे खुले थे और रोशनी भी जल रही थी, जो रात के उस समय असामान्य लग रही थी।इस सूचना पर मुखबिर और उसकी पत्नी अपने ससुर के घर पहुंचे।उन्हें आशंका थी कि उनके ससुर गिर गए होंगे, क्योंकि उन्हें हृदय रोग का इतिहास था।जब वे लगभग 11.30 बजे घर पहुंचे, तो उन्हें तुरंत ऐसा लगा जैसे रसोई में कुछ जल रहा हो।यह उन्हें रसोई में ले गया, जहाँ उन्हें एस. रामकृष्णन का शव मिला।उन्होंने यह भी देखा कि बैठक कक्ष की अलमारी खुली थी और उसके पिता का पर्स गायब था जहाँ वे आम तौर पर लगभग Rs.3000-रखते थे।उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया और एफ. आई. आर. दर्ज की गई और 2000 का आपराधिक मामला (आई. डी. 1)

पुलिस स्टेशन, उलसूर, बेंगलुरु में धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

बी.

सी.

डी.

ई.

3. इस बीच, पूछताछ लगभग 07 बजे शुरू हुई थी:00 12.10.2000 की सुबह सुबह, और यह 09 बजे पूरा होता है:30 उस दिन मैं।जाँच रिपोर्ट में कहा गया है कि एस. रामकृष्णन पुत्र सुब्बाराय अय्यर नाम का लगभग 72 वर्ष का एक पुरुष व्यक्ति, 12.10.2000 के दिन नंबर 19/1, हौदिन रोड, उलसूर, बेंगलुरु में मृत पाया गया।

एफ.

फिर यह दर्ज करता है:-

जी.

“शव उल्सूर के हाउदीन रोड स्थित दरवाजा संख्या 19/1 पर रसोईघर में खून से लथपथ पूल में पड़ा हुआ है।सिर पश्चिम की ओर और पैर पूर्व की ओर हों।आँखें खुली हुई हैं।मृतक की गर्दन में 4 "लंबे खून बहने की चोट पाई गई है; इसे एक तेज हथियार से काटा गया पाया गया है। दोनों हाथ शरीर पर फैले हुए हैं।गर्दन में कटने की चोट कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पाई जाती है।मृतक ए है

एच.

421

मुनिकृष्ण @कृष्ण ई. टी. सी. बनाम.स्टेट बाई उल्सूर पीएस [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

1) एक क्रॉस-बेल्ट पहने हुए,2) सफेद पूर्ण भुजा बरगद,3) सफेद अंडरवियर,4) सफेद धोती। सभी कपड़े खून से लथपथ हैं।

19/1, हाउदीन रोड, उलसूर, घर का मुख्य दरवाजा उत्तर की ओर है, 'रसोई का दरवाजा पश्चिम की ओर है, रसोई में प्रवेश करने पर, शव फर्श पर पड़ा हुआ है जिसका सिर पश्चिम की ओर और पैर पूर्व की ओर हैं।पानी में नहीं मिला।ठीक से नहीं।

बी.

12-10-2000 को सुबह 9:30 बजे, श्री। एनएस। उल्सूर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर रामचंद्रप्पा ने मृतक की मौत का वास्तविक कारण जानने के लिए शव को श्री के माध्यम से बौरिंग अस्पताल के डॉक्टर को भेज दिया। गिरियाया पी. सी.-2539।

सी.

श्री. एन. एस. रामचंद्र, पी. आई. ने पी. सी. 2539 को शव का पोस्टमॉर्टम करने के बाद मृतक के रक्त संबंधी लोगों को सौंपने का आदेश दिया है।

11-10-2000 पर।कुछ दोषियों ने रोगी श्री की हत्या कर दी है। एस. रकाकृष्णन, शाम 6:30 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच अपने आवास की रसोई में 72 साल तक रहे और किसी तेज हथियार से उनकी गर्दन काटकर अलमारी से लगभग Rs.3000 चोरी करके वहां से भाग गए। हालाँकि, हम पंचों का मानना है कि मृतक की मृत्यु के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जाना चाहिए।"

डी.

ई.

4. 10 के बीच 12.10.2000 पर पोस्टमॉर्टम किया गयाः30- 11:30 एएम। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि सात पूर्व-शव परीक्षण चोटें थीं जो इस प्रकार हैंः

"1. गर्दन के सामने क्षैतिज रूप से रखा गया घाव, जो चीन के बीच में 8 सेंटीमीटर नीचे और 13 सेंटीमीटर X 5 सेंटीमीटर X ग्रीवा कशेरुका के स्तर से 4 सेंटीमीटर ऊपर स्थित है, सामने और गर्दन के किनारों की मांसपेशियों के नीचे, दोनों तरफ जुगुलर नसें, दोनों तरफ कैरोटिड धमनियां, श्वासनली और अन्नप्रणाली पूरी तरह से कटी हुई हैं और 5 वीं ग्रीवा कशेरुका का शरीर सतही रूप से काटा गया है, चारों ओर खून फैला हुआ है, किनारों को साफ किया गया है।

एफ.

जी.

2. बाईं आंख की भौंह के आंतरिक छोर से 1 से. मी. ऊपर स्थित बाईं ओर के सामने वाले क्षेत्र पर तिरछा घाव रखा गया है जिसका माप 4 से. मी. X 1 से. मी. X हड्डी गहरा है।

एच.

3. दाहिने कान के लोब्यूल से 6 से. मी. नीचे स्थित गर्दन के दाहिने हिस्से पर कटा हुआ घाव, जिसकी माप 2.5 से. मी. x 1 से. मी. x मांसपेशियों की गहराई है।4. कटा हुआ घाव चोट संख्या 3 से 1 से. मी. नीचे होता है जो 2 से. मी. x 1 से. मी. x मांसपेशियों में गहरा होता है।

5. गर्दन के बाईं ओर सतही कटा हुआ घाव बाएं कान के लोब्यूल से 4 सेमी नीचे स्थित है जिसका माप 4 सेमी x 0.5 सेमी एक्स त्वचा की गहराई है।6. सामने और ऊपरी भाग पर सतही घाव।दाहिने स्टर्नो क्लैविकुलर जोड़ के ऊपर दाहिने तरफ की छाती का माप 4 सेमी x 0.5 सेमी एक्स त्वचा की गहराई।

बी.

7. बाईं ओर की छाती के सामने और ऊपरी भाग पर सतही चीरा हुआ घाव, बाईं स्टर्नो क्लैविकुलर जोड़ के ऊपर 3 सेमी x 0.5 सेमी एक्स त्वचा गहरी।"

सी.

5. निस्संदेह, यह एक बहुत ही जघन्य अपराध है जो 11 अक्टूबर, 2000 की रात को किया गया है, जिसमें एक 72 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।सभी संभावनाओं में उनकी मृत्यु मुख्य चोट के कारण हुई जो चोट संख्या 1 है जो सामने की गर्दन पर 13 सेमी x 5 सेमी गहरा घाव है जो दोनों तरफ की गले की नसों को काट रहा है।अत्यधिक खून बहने के कारण कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो गई होगी।पोस्टमॉर्टम डॉ. निसार अहमद द्वारा किया गया था, जो बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर के फॉरेंसिक मेडिसिन बॉरिंग अस्पताल विभाग में सहायक प्रोफेसर थे। बाद में मुकदमे में उनकी जांच पीडब्लू-5 के रूप में की गई। उनके अनुसार, मृतक के सभी पहने हुए कपड़े, जैसे सफेद लुंगी, सफेद कच्चा, सफेद बनियान और सफेद पवित्र धागा सभी खून से सना हुआ था, जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया था।उन्होंने पूर्व-शव परीक्षण चोटों को देखा था, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है।सभी चोटें ताजा चोटें थीं।शव को खोलने पर, उन्होंने सभी आंतरिक अंगों को अक्षत लेकिन पीला पाया।उनकी राय थी कि मौत सामने की गर्दन में पूर्व-शव परीक्षण चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव के कारण हुई थी।न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि एक व्यक्ति जिसे सामने की गर्दन में इस तरह की चोटें लगी हैं, वह केवल कुछ सेकंड के लिए जीवित रह सकता है और मृत्यु तत्काल होती है और घायल अपनी आवाज नहीं उठा सकता है।यह विशेषज्ञ गवाह विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित चोट संख्या 1 का उल्लेख कर रहा है।उसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण इस प्रकार दिया गया है:-

डी.

ई.

एफ.

जी.

"गर्दन के सामने लगी चोट के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण मृत्यु हुई थी।"

एच.

423

मुनिकृष्ण @कृष्ण ई. टी. सी. बनाम.स्टेट बाई उल्सूर पीएस [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

ए.

6. इस बीच मामले की जांच शुरू हो गई थी।हालाँकि, वर्तमान अपीलार्थियों को पीडब्लू-15 द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो डकैती और हत्या के एक अन्य मामले में पुलिस निरीक्षक और जांच अधिकारी थे, जिसे पुलिस स्टेशन, विजयनगर में आईपीसी की धारा 354/397 के तहत 1999 के अपराध No.674 के रूप में दर्ज किया गया था। इस जांच अधिकारी (पीडब्लू-15) को 'डोड्डा हनुमा' नामक एक आरोपी के स्थान के बारे में जानकारी मिली।डोड्डा हनुमा भी इस मामले में एक आरोपी थे और उन्होंने मुकदमे का सामना किया था और अन्य अपीलार्थियों की तरह उन्हें भी दोषी ठहराया गया था (हालांकि, वह वर्तमान अपीलार्थियों में इस न्यायालय के समक्ष नहीं हैं)।जानकारी मिली थी कि डोड्डा हनुमा जेल के कर्मचारियों पर हमला करने के बाद चित्तौड़ जेल से भाग गया था।इसके बाद यह पुलिस निरीक्षक (पीडब्लू-15) कुछ सिपाहियों के साथ ईचानूर गांव पहुंचा और रात करीब 9 बजे चार अन्य लोगों के साथ आरोपी को पकड़ लिया। सभी पाँच व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया और विजयनगर पुलिस स्टेशन लाया गया और उन्हें औपचारिक रूप से 01.02.2001 पर गिरफ्तार कर लिया गया।इसके बाद डोड्डा हनुमा (आरोपी संख्या 2) द्वारा एक स्वैच्छिक बयान दिया गया और अंत में सभी पांचों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने एस. रामकृष्णन की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को नृशंस हत्या की थी।उन्होंने स्वेच्छा से उस जगह को भी दिखाया जहां उन्होंने 11.10.2000 (यानी हाउस नंबर 19/1, हौदीन रोड) की रात को अपराध किया था, और कैसे उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की हत्या की और फिर नकदी और गहने लूट लिए।वे पुलिस दल को उक्त घर पर ले गए जो हाउस नंबर 19/1, हौदीन रोड है, उन्होंने सही जगह दिखाई जहां उन्होंने हत्या की थी और नकदी और गहने लेकर भाग गए।इस बीच आरोपी का वीडियोग्राफी बयान भी दर्ज किया गया।वीडियोग्राफी सदाशिव (पीडब्लू-16) द्वारा 08.02.2001 पर की गई थी।7. डोडा हनुमा द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयान के परिणामस्वरूप, पुलिस दल को राजा मार्केट, नागराज कॉम्प्लेक्स में दुकान संख्या 167, यानी, सत्यनारायण ज्वैलरी मार्ट में ले जाया गया, जहाँ आरोपी डोडा हनुमा ने उक्त ज्वैलरी मार्ट की जनार्दन शेट्टी (P.W.-17) की पहचान की और उसे वे गहने दिखाने के लिए कहा जो उसने उसे बेचे थे।ये कामाक्षीपाल्या मामले और उलसूर मामले (वर्तमान मामले) से संबंधित रत्न थे।जनार्दन शेट्टी ने फिर एक सोने की सिल्ल, लाल पत्थरों वाली सोने की कान की अंगूठियों की एक जोड़ी और कान की अंगूठियों की उक्त जोड़ी से संबंधित बूंदें भी तैयार कीं। पुलिस ने उक्त संपत्ति को जब्त कर लिया और पंचों की उपस्थिति में एक मजार तैयार की जो एक्स है। पी-14।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. पुलिस ने अपनी जांच के बाद सभी अभियुक्तों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित धारा 302 के तहत अपराधों के लिए अपना आरोप पत्र दायर किया।यह मामला

एच.

सत्र न्यायालय के लिए प्रतिबद्ध था और फिर चौथे अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश, मायोहल, बैंगलोर को सौंपा गया था।आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित धारा 302/396 के तहत अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। अंततः अभियुक्तों को विचारण न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। जिन पाँच अभियुक्तों ने मुकदमे का सामना किया और उन्हें दोषी ठहराया गया और उनकी दोषसिद्धि की सजा को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा, उनमें से हमारे पास इस न्यायालय के समक्ष केवल चार अभियुक्त हैं।वे इस प्रकार हैं:-

बी.

1. अपीलार्थी नं. 1, मुनिकृष्ण @कृष्णा (अभियुक्त नं. 4)2. अपीलार्थी सं. 2, नल्लाथिम्मा (अभियुक्त सं. 3)

सी.

3. अपीलार्थी सं. 3, लक्ष्मी (अभियुक्त सं. 5)

4. अपीलार्थी सं. 4, वेंकटेश @चंद्रा (अभियुक्त सं. 1)9. निस्संदेह, यह हत्या का मामला है। सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष वर्तमान अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है।अभियोजन पक्ष ने अपना मामला स्थापित करने के लिए 17 अभियोजन गवाहों के अलावा अन्य प्रदर्शनों जैसे फोरेंसिक और अन्य सामग्री, अपराध के हथियार की खोज का जब्ती ज्ञापन और गहने की दुकान से सोने के आभूषण आदि की जांच की थी।

डी.

10. पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 क्रमशः मृतक के दामाद और बेटी हैं।वे ही थे जिन्होंने पहली बार 11.10.2000 की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को शव की खोज की थी।पीडब्लू-3 जाँच रिपोर्ट का गवाह है, पीडब्लू-4 जब्ती ज्ञापन के लिए गवाह है। पी2)।पीडब्लू-5 डॉक्टर है जिसने पोस्टमॉर्टम किया, पीडब्लू-6 चौकीदार है, जो रात 9:30 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच निगरानी में था। पीडब्लू-7 वह गवाह है जो आरोपी के साथ घटना स्थल पर गया था।पीडब्लू-8 वह सिपाही है जिसने शव को मृतक के घर से पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।पीडब्लू-15 विजयनगर पुलिस स्टेशन का निरीक्षक और जांच अधिकारी है, जो एक अन्य अपराध की जांच कर रहा है, जिसने वर्तमान अपीलार्थी को 01.02.2001 पर गिरफ्तार किया था, और पीडब्लू-9 और पीडब्लू-14 वे पुलिस कर्मी हैं जो आरोपी को पकड़ने के समय उसके साथ थे। पीडब्लू-10 चाकू के जब्ती ज्ञापन (अपराध का हथियार) के लिए स्वतंत्र गवाह है, और गवाह जिसके कारण आरोपी नंबर 1 की ओर इशारा करते हुए चाकू की खोज हुई।इसी तरह, पीडब्लू-11 'सत्यनारायण ज्वैलरी मार्ट' से सोने की सिल्ल के जब्ती ज्ञापन का गवाह है।पीडब्लू-12 पुलिस थाना, उलसूर का पुलिस उप-निरीक्षक है, जिसे टेलीफोन पर ए मिला था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

425

मुनिकृष्ण @कृष्ण ई. टी. सी. बनाम.स्टेट बाई उल्सूर पीएस [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

अपराध के बारे में संदेश, 11.10.2000 पर लगभग 11.45 PM पर, शव को देखा और फिर PW-1 को अपने साथ पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ले गया। पीडब्लू-13 पुलिस निरीक्षक है जिसने आगे की जांच शुरू की और अंत में मामले में आरोप पत्र दायर किया। पीडब्लू-16 वह वीडियोग्राफर है जिसने आरोपी व्यक्तियों के बयानों का वीडियो बना लिया था। पीडब्लू-17 सत्यनारायणा ज्वैलरी मार्ट का स्वामित्व है।पीडब्लू-15 पुलिस निरीक्षक है जिसने आरोपी को उस समय गिरफ्तार किया था जब वह एक अन्य अपराध की जांच कर रहा था।जैसा कि हम देख सकते हैं कि मामले में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।ऐसा कोई फोरेंसिक या वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है जो किसी भी वर्तमान अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ता हो।अपराध के हथियार की तथाकथित खोज और चोरी की गई सोने की सामग्री की खोज भी गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार यह कुल मिलाकर और सार रूप में पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है।

बी.

सी.

11. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, साक्ष्य की पूरी श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला की जांच करने के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं, वे अभियुक्त की दोषीता की ओर इशारा करते हैं और कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकालते हैं।हालाँकि, अभियोजन पक्ष के मामले में यह स्पष्ट रूप से गायब है।अभियोजन पक्ष का पूरा मामला अभियुक्त संख्या 1 से 5 (सभी वर्तमान अपीलार्थी) द्वारा दिए गए तथाकथित इकबालिया बयानों या स्वैच्छिक बयानों पर आधारित है, जब वे पुलिस हिरासत में थे।सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत एक आरोपी द्वारा पुलिस को दिया गया बयान सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत खोजे गए तथाकथित साक्ष्य, यानी चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी और हथियार की बरामदगी भी बहुत संदिग्ध है।

डी.

ई.

12. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, न्यायालय को प्रत्येक परिस्थितिजन्य संभावना की जांच करनी होती है, जिसे साक्ष्य के रूप में उसके सामने रखा जाता है और साक्ष्य को केवल एक निष्कर्ष की ओर इशारा करना चाहिए, जो कि अभियुक्त का अपराध है।दूसरे शब्दों में, उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर बहुत भारी कर्तव्य डाला जाता है।1952 में ही इस न्यायालय ने अपने मौलिक फैसले में

एफ.

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्र बनाममध्य प्रदेश राज्य

जी.

प्रदेश **1** ने वे मापदंड निर्धारित किए थे जिनके तहत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले का मूल्यांकन किया जाना है।इसमें कहा गया है:-

“... यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, वे परिस्थितियाँ जिनसे

1 ए. आई. आर. 1952 एससी 343

एच.

अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए।एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है।दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

बी.

इस न्यायालय द्वारा हनुमंत **(**उपरोक्त**)** का लगातार पालन किया गया है।

सी.

तुफैल **(**उपनाम**)** सिम्मी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **2,** राम गोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य **3** और शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य **4**।

मुशीर खान @बादशाह खान और अन्र. वी.की स्थिति

मध्य प्रदेश 5 दिनांक 28.01.2010, इस न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रकृति और अभियोजन के प्रमाण के बोझ पर चर्चा करते हुए कहाः-

डी.

“39. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, किसी को परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला की तलाश करनी चाहिए न कि टूटे हुए और बिखरे हुए लिंक पर जो एक पूर्ण अनुक्रम नहीं बनाते हैं।इस न्यायालय ने पाया कि यह मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना करते समय, न्यायालय को एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य "अनुमानित साक्ष्य" है और ऐसे मामले में साक्ष्य परिस्थितियों से निष्कर्ष द्वारा व्युत्पन्न होता है।

ई.

एफ.

40. मुख्य न्यायाधीश फ्लेचर मौल्टन ने एक बार कहा था कि "सबूत का मतलब कठोर गणितीय सूत्र नहीं है" क्योंकि "यह असंभव है"।हालांकि, सबूत का मतलब ऐसा सबूत होना चाहिए जो एक तर्कसंगत व्यक्ति को एक निश्चित निष्कर्ष पर आने के लिए प्रेरित करे।दूसरी ओर, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तुलना लॉर्ड कोलरिज द्वारा की गई है "एक गूसमर धागे की तरह, हल्का और हवा की तरह ही अप्रासंगिक और अच्छे स्पर्शों के साथ गायब हो सकता है।"विद्वान

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस तरह के साक्ष्य कुछ हिस्सों में मजबूत हो सकते हैं लेकिन यह

जी.

2 (1969) 3 एससीसी 198 3 (1972) 4 एससीसी 625 4 (1984) 4 एससीसी 116 5 (2010) 2 एससीसी 748 ए

एच.

427

मुनिकृष्ण @कृष्ण ई. टी. सी. बनाम.स्टेट बाई उल्सूर पीएस [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

बहुत बड़ा अंतराल और किराया भी छोड़ सकता है जिसके माध्यम से आरोपी भाग सकता है। इसलिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना के लिए कुछ नियमों को न्यायिक रूप से विकसित किया गया है।

41. मेरे विचार से, पहला नियम यह है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से किसी भी कानूनी निष्कर्ष के आधार के रूप में कथित तथ्यों को किसी भी उचित संदेह से परे स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए।यदि दोषसिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करती है, तो उसे एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जिससे आरोपी का कोई पलायन न हो।इस तरह के परिस्थितिजन्य साक्ष्य से उत्पन्न होने वाले तथ्य ऐसे होने चाहिए कि वे अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी निष्कर्ष को स्वीकार न करें।(राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य देखें। [ए. आई. आर 1963 एस. सी. 74:(1963) 1 क्रि एल. जे. 70])

बी.

सी.

42. दूसरा सिद्धांत यह है कि साक्ष्य की श्रृंखला में सभी कड़ियों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उन्हें अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के साक्ष्य को बाहर करना चाहिए।(देखें।

यू. पी. राज्य बनामडॉ. रवींद्र प्रकाश मित्तल [(1992) 3 एससीसी

डी.

300 :1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 642:1992 क्राई एलजे 3693], एससीसी पी।309, पैरा 20.)

43. परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना करते समय, हमें अशरफ अली बनाम राजा सम्राट [21 सी. डब्ल्यू. एन. 1152 में निर्धारित सिद्धांत को याद रखना चाहिए:43 आई. सी.

241] (पैरा 14 पर आई. सी.) कि जब किसी आपराधिक मामले में निर्दोषता की धारणा और किसी अन्य धारणा के बीच संघर्ष होता है, तो पहले वाले को प्रबल होना चाहिए।

ई.

44. अगला सिद्धांत यह है कि अपराध के निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए, दोषपूर्ण तथ्यों को अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए और उसके अपराध के अलावा किसी अन्य उचित परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए।

एफ.

45. जब हत्या के आरोप को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर साबित किया जाना है, जैसा कि इस मामले में है, तो अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुमान की एक प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। निबारन चंद्र राय बनाम राजा सम्राट [11 सी. डब्ल्यू. एन. 1085] में यह माना गया था कि यह तथ्य कि एक बंदूक दागे जाने के तुरंत बाद एक आरोपी व्यक्ति के हाथ में बंदूक पाई गई थी और जिस स्थान से बंदूक चलाई गई थी, उस स्थान पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, आरोपी के खिलाफ मजबूत परिस्थितिजन्य सबूत हो सकता है, लेकिन यह मानना कानून की त्रुटि है कि ऐसी परिस्थितियों में निर्दोष साबित करने का बोझ आरोपी पर है।अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी बल एक अनुमान हो

जी.

एच.

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उत्पन्न होने वाले दीवानी या कम गंभीर आपराधिक मामलों में, हत्या के मुकदमे में निर्दोषता की प्रमुख धारणा की तुलना में यह बेहद कमजोर है।
46. गोविंदा रेड्डी न्यायालय मैसूर राज्य [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 29:1960 सी. आर. आई. एल. जे. 137] जहाँ विद्वान न्यायाधीशों ने हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम एम. पी. राज्य में निर्धारित सिद्धांतों का हवाला दिया। [ए. आई. आर 1952 एस. सी. 343:1953 क्रि एल. जे. 129] गोविंद में अनुपात [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343:1953 ए. आई. आर. पैरा 5 में उद्धृत सी. आर. आई. एल. जे. 129],पी. गोविंदा रेड्डी [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 29 में रिपोर्ट का 30:1960 क्रि एल. जे. 137] हैंः

बी.

सी.

“5. … ‘10…. ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, परिस्थितियाँ [जो पहली बार में अपराध के निष्कर्ष की ओर ले जाती हैं] पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए।एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है।दूसरे शब्दों में, अब तक पूर्ण साक्ष्य की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह [दिखाया जाना चाहिए] कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा [किया गया] होना चाहिए।’ [जैसा कि हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 में देखा गया है।]’’

डी.

ई.

मोहन लाल पंगासा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1974) 4 एस. सी. सी. 607 में भी इस न्यायालय ने इसी सिद्धांत का पालन किया हैः1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 643:ए. आई. आर 1974 एस. सी. 1144] "

एफ.

13. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पुलिस के समक्ष अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए इकबालिया/स्वैच्छिक बयानों और अभियुक्त की ओर इशारा करते हुए बरामद किए गए हत्या के कथित हथियार की बरामदगी और फिर से अभियुक्त की ओर इशारा करते हुए एक आभूषण की दुकान से कथित रूप से चोरी की गई सोने की सामग्री की बरामदगी पर आधारित है।आइए हम पहले साक्ष्य पर ध्यान दें।पुलिस के अनुसार, सभी अभियुक्तों को 31.01.2001 पर एक स्कूल की इमारत से गिरफ्तार किया गया था और औपचारिक रूप से 01.02.2001 पर गिरफ्तार किया गया था।उन्होंने अपने द्वारा किए गए 24 अपराधों को स्वीकार किया।ए की योजना और निष्पादन के बारे में उनके इकबालिया बयान

जी.

एच.

429

मुनिकृष्ण @कृष्ण ई. टी. सी. बनाम.स्टेट बाई उल्सूर पीएस [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

हत्याओं को एक वीडियो में कैद किया गया है, जिसे न्यायालय के समक्ष भी प्रदर्शित किया गया था।न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयानों का यह सबूत लिया है और इसलिए इसे सबूत के रूप में स्वीकार किया है।यह सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों

द्वारा किया गया था।विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपने दिनांकित 19.03.2003 अभिलेखों में निम्नानुसार अभिलिखित विद्वान हैः-

बी.

“... अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त व्यक्तियों और खचाखच भरे न्यायालय हॉल की उपस्थिति में खुले न्यायालय हॉल में ऑडियो चलाया है और केवल अवलोकन और वीडियो सुनने पर, यह स्पष्ट हो जाएगा कि अभियुक्त व्यक्तियों ने स्वयं पूरी घटना को उस तरीके से समझाया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा कथित अपराध को किया है।अभियुक्त का वीडियो बयान नं. 5 यह स्पष्ट करता है कि मृतक को लोहे की ग्रिल खोलने के लिए कैसे बनाया गया था और कैसे उन्होंने अकेले रहने वाले वृद्ध निर्दोष रामकृष्णन की हत्या करने की योजना बनाई थी। अभियुक्त के व्यक्तिगत वीडियो बयान से अभियुक्त व्यक्ति के इरादे का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि जिस तरह से उन्होंने मृतक रामकृष्णन को लोहे की ग्रिल खोलने के लिए मजबूर किया है और जिस तरह से अभियुक्त व्यक्तियों ने वृद्ध व्यक्ति की हत्या में अपराध किया है।”

सी.

डी.

सत्र न्यायालय तब उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय को संदर्भित करता है,

(श्री एन**.** श्री रामा रेड्डी**,** आदि।श्री वी**.** वी**.** गिरि **6)** और कहते हैं कि

ई.

इस निर्णय वीडियो टेप के दृश्य का उपयोग पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में भी किया जा सकता है।ऐसा कहा गया हैः-

“जब ऐसा मामला होता है, तो यह कहने की जरूरत नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के वीडियो रिकॉर्ड किए गए बयान को भी सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।यदि वास्तव में, वीडियो कैसेट को देखने और सुनने के बाद आरोपी व्यक्तियों को आरोपी व्यक्तियों के वीडियो रिकॉर्ड किए गए बयान की प्रामाणिकता पर संदेह था, तो यह तर्क देने के बजाय कि उनके बयान उन्हें शराब पीने के लिए मजबूर करके प्राप्त किए गए थे, उन्होंने न्यायालय से वीडियो टेप रिकॉर्ड को वैज्ञानिक जांच के अधीन करने का अनुरोध किया होगा।माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त व्यक्तियों के स्वैच्छिक बयान के वीडियो टेप का भी सबूत के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।इस प्रकार, अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन पर, यह पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था

एफ.

जी.

एच.

6 ए. आई. आर 1971 एस. सी. 1162

430

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 13 एस सी आर।

अभियुक्त के अपराध को सभी उचित संदेह से परे घर लाएगा "

बाद में उच्च न्यायालय अभियुक्त की अपील की सुनवाई करते हुए निम्नानुसार एक समान निष्कर्ष देता हैः-

“यह अभियुक्तों का मामला नहीं है कि उन्होंने अभि. साक्षी 15 के समक्ष पी. 8,9,10,11 और के अनुसार स्वैच्छिक बयान नहीं दिए हैं।12. हालाँकि, यह उनका तर्क है कि उन्हें शराब पीने के लिए मजबूर किया गया था और शराब के प्रभाव में, बयान पूर्व के अनुसार लिए गए हैं। पी-8,9,10,11 और 12 और बयान स्वैच्छिक नहीं थे।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री अभियुक्त द्वारा लिए गए उक्त संस्करण की पुष्टि नहीं करती है।उक्त तथ्य के प्रमाण के अभाव में, एक्स में स्वैच्छिक बयान। अभियुक्त संख्या 1 से 5 तक द्वारा दिया गया पी-8,9,10,11 और 12 स्वैच्छिक साबित होता है क्योंकि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो अभियुक्त द्वारा लिए गए बचाव को संभव बनाए कि उन्हें शराब पीने के लिए मजबूर किया गया था और उनके बयान शराब पीने के प्रभाव में दर्ज किए गए थे और यह स्वैच्छिक नहीं था।

बी.

सी.

डी.

उच्च न्यायालय तब सत्र न्यायालय के निष्कर्ष और अभियुक्त के स्वैच्छिक बयान की स्वीकार्यता और न्यायालय के समक्ष रखी गई वीडियोग्राफी की पुष्टि करता है और निम्नानुसार कहता हैः-

“उपरोक्त सिद्ध परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तों ने 72 वर्षीय एस रामकृष्णन की हत्या उसकी गर्दन काटकर की है क्योंकि वह घर में अकेला रह रहा था।अभियुक्त द्वारा लिया गया एकमात्र बचाव यह है कि उन्होंने शराब के प्रभाव में स्वैच्छिक बयान दिए हैं जो अभिलेख पर मौजूद सामग्री द्वारा संभव नहीं है और अभियुक्त के बयानों को देखते हुए अपराध के दृश्य की ओर इशारा करते हुए जिसमें एस रामकृष्णन की हत्या कर दी गई थी और रामकृष्णन की हत्या कर दी गई थी और एम. ओ. 1 की बरामदगी हुई थी, जो पी. डब्ल्यू. 5 के अनुसार एस रामकृष्णन के शरीर पर चोट का कारण बनेगी और उन गहने की बरामदगी भी होगी जिन्हें

उन्होंने P.W.17 की दुकान से सिल्ल में पिघला दिया था और यह तथ्य कि अभियुक्तों ने उस स्थान को दिखाया है जहां उन्होंने स्वैच्छिक बयानों को आगे बढ़ाते हुए अपराध के दृश्य को अंजाम दिया था, अभियोजन पक्ष द्वारा निर्णायक रूप से साबित किया गया है और ऐसी परिस्थितियां एक पूर्ण कड़ी बनाती हैं जो केवल अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं और पूरी तरह से असंगत है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

431

मुनिकृष्ण @कृष्ण ई. टी. सी. बनाम.स्टेट बाई उल्सूर पीएस [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

ए.

ट्रायल न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में रिकॉर्ड पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना की है और रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री की पुनः सराहना करने पर, हम मानते हैं कि आरोपी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302 और 34 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए 5 अपीलार्थियों के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष निकालना उचित है और उस पर लगाई गई सजा को भी अत्यधिक नहीं कहा जा सकता है ताकि इस अपील में हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सके।"

बी.

विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों ने अभियुक्तों के स्वैच्छिक बयानों और उनके वीडियोग्राफी बयानों पर भरोसा करने में पूरी तरह से गलती की।भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) 7 के तहत, एक आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।पुनः, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 25 8 के तहत; एक पुलिस अधिकारी के समक्ष एक अभियुक्त द्वारा दिया गया इकबालिया बयान सबूत के रूप में अस्वीकार्य है।

सी.

ट्रायल न्यायालय द्वारा सुप्रीम न्यायालय के फैसले का संदर्भ

(श्री एन. श्री रामारेड्डी बनाम श्री वी. वी. गिरि) भी गलत है।कि

डी.

मामला केवल एक चुनाव याचिका में टेप-रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता को संदर्भित करता है, जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा

87) के तहत न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जाता है।यह न्यायालय, उपरोक्त उद्धृत निर्णय में एक आपराधिक मामले पर विचार नहीं कर रहा था और निश्चित रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस को एक आरोपी द्वारा दिए गए बयान की स्वीकार्यता पर नहीं था।वास्तव में, उपरोक्त निर्णय भी सावधानी के साथ समाप्त होता है:"30. हम एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि यह आदेश केवल टेप पर दर्ज बातचीत के साक्ष्य में स्वीकार्यता से संबंधित है और उस साक्ष्य के साथ जुड़े वजन से संबंधित नहीं है।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सवाल, क्या पर्चे, पी-18-बी और पी-37-ए को याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित तरीके से प्रसारित किया गया है और आगे यह सवाल कि क्या वे अनुचित प्रभाव का प्रयोग करने के बराबर हैं, वे भी ऐसे मामले हैं जिन पर इस आदेश में विचार नहीं किया गया है।उपरोक्त सभी पहलू हैं जिन पर चुनाव याचिकाओं का निपटारा करते समय निर्णय में विचार किया जाएगा।"

ई.

एफ.

जी.

7 20 (1) XXX XXX (2) XXX XXX

(3) किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

8 25.पुलिस-अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति साबित नहीं की जानी चाहिए।-- पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति**,** किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ साबित नहीं होगा।

एच.

इस प्रकार, टेप-रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता के बारे में इस न्यायालय की राय पूरी तरह से अलग संदर्भ में थी।जहाँ तक सोने की सिल्लियों की बरामदगी का संबंध है, पीडब्लू-1, यानी दामाद और शिकायतकर्ता ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा है कि वह सिल्लियों को नहीं पहचानता है और यह उसके ससुर का नहीं है।इसलिए, जो सोना बरामद किया गया है, उसकी पहचान मृतक के घर से चोरी हुए सोने के रूप में नहीं हुई है।चाकू की बरामदगी भी संदिग्ध है।सबसे पहले, वेंकटेश, जिन्होंने खोज का नेतृत्व किया था, ने चाकू और उसके निपटान के बारे में 01.02.2001 पर उल्लेख किया था जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, वसूली 15.05.2001 यानी साढ़े चार महीने बाद की गई थी।इस तरह की देरी से वसूली क्यों की गई, इसकी व्याख्या नहीं की गई है।दूसरा, इस बरामदगी का स्वतंत्र गवाह पीडब्लू-10 मुरुगन भी जिरह के दौरान मुकर गया था क्योंकि उसने कहा था कि वह वेंकटेश

(आरोपी) को नहीं पहचानता है जिसके कहने पर कथित बरामदगी की गई थी।हत्या के हथियार की बरामदगी के लिए इतना।

बी.

सी.

डी.

14. इस मोड़ पर, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि कुछ आरोपी जो हमसे पहले थे, वे भी इसी तरह के एक और मुकदमे का सामना कर रहे थे जिसमें उन्हें 17.09.2010 पर दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी।इसके बाद अपील में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।वे अंततः अपील में इस न्यायालय के समक्ष आए। विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा जाँच की प्रक्रिया और साक्ष्य की सराहना ने वर्तमान मामले की तरह ही एक समान मार्ग अपनाया था।उनकी आपराधिक अपील (2018 की संख्या 1476-1477) 9 की सुनवाई करते हुए इस न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां कीं, जो वर्तमान मामले के लिए भी समान रूप से प्रासंगिक हैं।मामले में पुलिस की जांच के संबंध में, इस न्यायालय ने यही कहा थाः

ई.

एफ.

"...19.हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमने बार-बार अभियोजन एजेंसी की ओर से पूरे बयान को दर्ज कराने की प्रवृत्ति पाई है, न कि केवल बयान के उस हिस्से को जो तथ्यों की खोज की ओर ले जाता है।इस प्रक्रिया में, एक अभियुक्त का स्वीकारोक्ति जो अन्यथा साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों से प्रभावित होता है, रिकॉर्ड में अपनी जगह पाता है।इस तरह के बयानों में न्यायालय के दिमाग को प्रभावित करने और पूर्वाग्रह करने की सीधी प्रवृत्ति हो सकती है।इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाना चाहिए।वर्तमान मामले में,

जी.

एच.

विचारण न्यायालय ने न केवल पूरे बयानों को निकाला, बल्कि उन पर भरोसा भी किया।

20. एक अन्य परेशान करने वाली विशेषता जो हमने देखी है वह यह है कि अपीलार्थियों के स्वैच्छिक बयान एक डीवीडी पर दर्ज किए गए थे जो न्यायालय में चलाया गया था और विचारण न्यायालय के फैसले का आधार बना था जैसा कि उसके फैसले के पैराग्राफ संख्या 34 और 35 से ध्यान देने योग्य है।इस तरह का बयान फिर से एक पुलिस अधिकारी के सामने स्वीकारोक्ति की प्रकृति में है और पूरी तरह से साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों से प्रभावित है। यदि अभियुक्त स्वीकारोक्ति देने के इच्छुक थे, तो जाँच तंत्र संहिता की धारा 164 के संदर्भ में उचित कार्रवाई के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके स्वीकारोक्ति दर्ज करने की सुविधा प्रदान कर सकता था।उस मार्ग से कोई भी प्रस्थान स्वीकार्य नहीं है और इसे मान्यता नहीं दी जा सकती है और सबूत के रूप में रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने उन डीवीडी स्टेटमेंट Exh.P-25 को 28 तक प्रदर्शित करने में गलती की।वास्तव में, यह दोषसिद्धि के मुद्दे पर मामले को समाप्त करते समय उन पर भरोसा करने में आगे बढ़ा।

बी.

सी.

डी.

21. जिस बात ने स्थिति को और बढ़ा दिया है, वह यह है कि जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड की गई डीवीडी पर उक्त बयानों को उदय टीवी द्वारा "पुट्टा मुट्टा" नामक कार्यक्रम में चलाया और प्रकाशित किया गया था। उक्त डी. वी. डी. को एक निजी टी. वी. चैनल के हाथों में जाने की अनुमति देना ताकि इसे चलाया जा सके और एक कार्यक्रम में प्रकाशित किया जा सके, कर्तव्य की अवहेलना और न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अलावा और कुछ नहीं है।अपराध से संबंधित सभी मामले और क्या कोई विशेष चीज साक्ष्य का एक निर्णायक टुकड़ा होती है, इसे न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए न कि एक टीवी चैनल के माध्यम से।यदि कोई स्वैच्छिक बयान था, तो इस मामले को न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा। सार्वजनिक मंच इस तरह की बहस या इस बात के प्रमाण के लिए जगह नहीं है कि अन्यथा न्यायालयों का अनन्य अधिकार क्षेत्र और कार्य क्या है।अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर ऐसी कोई बहस या चर्चा आपराधिक न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बराबर होगी।

ई.

एफ.

जी.

22. अंतिम परेशान करने वाली विशेषता यह है कि चार्ट Exh.P-29 को उस गिरोह की गतिविधियों के प्रमाण के रूप में लिया गया था जिससे अपीलार्थियों कथित रूप से संबंधित थे। चार्ट को प्रदर्शित करने के अलावा, आरोप पत्र या आदेशों, बयानों के रूप में कोई विवरण या दस्तावेज रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।यदि अभियोजन पक्ष चाहता था

न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि ऐसे अन्य मामले थे जिनमें अभियुक्त शामिल थे, संबंधित आरोप पत्रों को निर्णयों या दोषसिद्धि के आदेशों सहित पर्याप्त विवरणों के साथ अभिलेख पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।दोषसिद्धि या सजा के स्तर पर अन्य अपराधों में अभियुक्त की संलिप्तता के प्रमाण के रूप में एक मात्र चार्ट नहीं लिया जा सकता है।लेकिन उस कारक को विचारण न्यायालय ने गंभीरता से लिया जैसा कि सजा के आदेश के पैराग्राफ 15 से 18 से स्पष्ट है।वास्तव में, इस तरह की संलिप्तता को एक कारण माना गया था कि विचारण न्यायालय द्वारा मौत की सजा क्यों दी गई थी।इस तरह की प्रथा को कभी भी मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

बी.

सी.

23. हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि जमानत आवेदन पर विचार करने के चरण सहित कुछ चरणों में दृष्टिकोण गुणात्मक रूप से अलग हो सकता है।जमानत पर विचार करने के चरण में, प्राथमिक चिंता किसी अभियुक्त की स्वतंत्रता और संभावित पूर्वाग्रह को संतुलित करना है जो उसे रिहा किए जाने की स्थिति में सामाजिक हित पर पड़ सकता है।इसलिए अन्य अपराधों में उसकी संलिप्तता पर विचार करना उचित और उचित होगा।लेकिन अंतिम मूल्यांकन के चरण में, चाहे दोषसिद्धि दर्ज की जाए या नहीं, मामले पर विशुद्ध रूप से उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, जब तक कि किसी गिरोह या समूह या संगठन की सदस्यता ही अपराध या अपराध के बढ़े हुए रूप के रूप में नहीं मानी जा सकती है।पुनः, सजा सुनाने के स्तर पर, अन्य अपराधों में उसकी संलिप्तता एक प्रासंगिक कारक हो सकता है बशर्ते कि अन्य मामलों में निष्कर्षित निर्णयों के रूप में संबंधित सामग्री को कानून द्वारा ज्ञात तरीके से रिकॉर्ड पर लाया जाए।अन्य मामलों में स्थापित भागीदारी तब इस सवाल से निपटने के दौरान निश्चित रूप से प्रासंगिक होगी कि क्या संबंधित आरोपी से सख्ती से या नरमी से निपटने की आवश्यकता है।

डी.

ई.

एफ.

24. हम चार्ट एक्सएच से गुजरे हैं। पी-29।उक्त चार्ट के अनुसार, जहां तक वर्तमान अपीलार्थियों का संबंध है, उन्हें एक और अपराध में शामिल कहा गया था जिसने 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) डायरी No.24079 को जन्म दिया है और हमारे समक्ष तत्काल अपील के साथ सूचीबद्ध किया गया था।यह मामला अभी भी हमारे सामने विचाराधीन है।इसलिए, विचारण न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी, वह थी कथित गिरोह के अन्य सदस्यों की इतनी सारी समान गतिविधियों में कथित संलिप्तता, जिसके समर्थन में अपीलार्थियों के इकबालिया बयानों के अलावा कोई ठोस सामग्री नहीं थी।"

जी.

एच.

435

मुनिकृष्ण @कृष्ण ई. टी. सी. बनाम.स्टेट बाई उल्सूर पीएस [सुधांशु धूलिया, जे।] ए.

ए.

15. हमें यह जोड़ना होगा कि इस न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश में उपरोक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करना दिया है, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस के समक्ष अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान पर लगभग पूरी तरह से अपनी निर्भरता रखी थी। वर्तमान मामले में भी ठीक यही किया गया है और परिणामस्वरूप इसका भी वही परिणाम होना चाहिए।वास्तव में, अभियोजन पक्ष का यह भी मामला था कि अपीलार्थियों एक ऐसे गिरोह से संबंधित हैं जो इस प्रकार का अपराध करता है और सभी मामलों में कार्यप्रणाली मोटे तौर पर समान है।यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थियों ऐसे कई 20-25 मामलों में शामिल हैं।लेकिन न्यायालय के समक्ष जो दिया गया था वह एक चार्ट था जिसमें उन अपराधों, संख्याओं और धाराओं का विवरण दिया गया था जिनके तहत ऐसे अपराध कथित रूप से किए गए थे।आरोप पत्र या कोई अन्य सबूत के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।इसलिए इस कारक को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।ऊपर उल्लिखित 2018 की आपराधिक अपील संख्या 1476-1477 को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 19.04.2022 में भी इसे ध्यान में नहीं रखा गया था।

बी.

सी.

16. आम तौर पर, यह न्यायालय तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है जैसा कि वे वर्तमान मामले में हैं।लेकिन, फिर वर्तमान मामले में इन कारणों से निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ सत्र न्यायालय दोनों ने आपराधिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है और उन तथ्यों और साक्ष्यों पर भरोसा

किया है जो स्पष्ट रूप से न्यायालय में अस्वीकार्य हैं।अपराध वास्तव में भयावह था, कम से कम कहने के लिए।फिर भी, अपराध को वर्तमान अपीलार्थियों से जोड़ना एक ऐसी कवायद है जिसे कानून के स्थापित सिद्धांतों के तहत न्यायालय में किया जाना था।ऐसा नहीं किया गया है।

डी.

ई.

इस न्यायालय ने शरद बर्डहिचंद सारदा (उपरोक्त) मामले में इस प्रकार आगाह किया हैः-

“179. हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि हालांकि सतही रूप से देखा जाने वाला मामला एक बदसूरत रूप धारण करता है ताकि किसी भी न्यायालय की अंतरात्मा को प्रथम दृष्टया झटका लगे, फिर भी संदेह, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता है।एक नैतिक विश्वास, चाहे वह कितना भी मजबूत या वास्तविक क्यों न हो, कानून में समर्थनीय कानूनी विश्वास के बराबर नहीं हो सकता है।

एफ.

जी.

180. यह याद रखना चाहिए कि आपराधिक न्याय का अच्छी तरह से स्थापित नियम यह है कि "अपराध को गलत साबित करना सबूत से अधिक है"।तत्काल मामले में, एक विषय का जीवन और स्वतंत्रता दांव पर थी।चूंकि अभियुक्त को मृत्युदंड दिया गया था, इसलिए एक बहुत ही सावधान, सतर्क और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण रखना आवश्यक था।”

एच.

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों की अनुमति दी जाती है, सत्र न्यायाधीश दिनांक 1 और उच्च न्यायालय दिनांक 2 के आदेश को इसके द्वारा अपास्त करना दिया जाता है, अपीलार्थियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि वे किसी अन्य अपराध में वांछित न हों।

बी.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.